

संख्या 12014/09/2024-MMF

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

दिनांक: १२ नवंबर 2024

भारत में विनिर्मित एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए दिनांक 28.12.2021 के परिचालन दिशानिर्देशों में संशोधन।

वस्त्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अधिसूचना संख्या 12015/03/2020-आईटी दिनांक 24.09.2021 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। इस योजना में भारत में निर्मित एमएमएफ परिधान, एमएमएफ कपड़े और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है। यह योजना दिनांक 24.09.2021 से लागू है एवं दिनांक 28.12.2021 को इस योजना के कार्यान्वयन को सक्षम बनाने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

2. इस योजना के तहत प्रोत्साहन वित्त वर्ष 2024-2025 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि के लिए और वित्त वर्ष 2025-2026 के रूप में पहले प्रोत्साहन दावा वर्ष के लिए देय होगा। इसके अलावा तेजी से निवेश के मामले में वित्त वर्ष 2024-25 में ही प्रोत्साहन देय हो सकता है। हालांकि, प्रतिभागी थ्रेसहोल्ड निवेश और थ्रेसहोल्ड/वृद्धिशील कारोबार प्राप्त करने पर प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।

3. अनुरोधों और सुझावों के आधार पर और दावा प्रसंस्करण को सरल बनाने और व्यावसायिक सुविधा बढ़ाने के लक्ष्य के साथ, दिनांक 28.12.2021 के योजना दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन किए जा रहे हैं: -

क्र.सं.	धारा	संशोधित खंड
खंड 18.2.1	नया खंड	<p>एक प्रतिभागी कंपनी (कंपनियों) त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर प्रोत्साहन के संवितरण के लिए एक अनंतिम दावा प्रस्तुत करने का विकल्प चुन सकती है जिसमें विचाराधीन वर्ष के लिए पात्रता मानदंड पूरे किए गए हैं। निवेश/बिक्री के लिए, आवेदक को सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणित अचल संपत्ति रजिस्टर और लेखा परीक्षित/अनंतिम वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>जब तक कि वापस नहीं लिया जाता है, दावे केवल एक बार किए जाएंगे और उक्त वित्तीय वर्ष के लिए बाद में किसी आंशिक दावे की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>

खंड 18.2.2	नया खंड	अंतिम दावे के मामले में, प्रतिभागी कंपनी योजना दिशानिर्देशों के अनुसार प्रोत्साहन राशि के बराबर बैंक गारंटी (बीजी) प्रदान करेगी। बीजी की वैधता 1 वर्ष के लिए है।
खंड 18.2.3	नया खंड	अंतिम दावे का चयन करने वाली प्रतिभागी कंपनी (कंपनियों) के मामले में, वे अपने लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वैधानिक वार्षिक अनुपालन के साथ एक वित्तीय वर्ष में की गई बिक्री के लिए खंड 18.2 के अनुसार एक नियमित वार्षिक दावा प्रस्तुत करेंगे।
खंड 18.2.4	नया खंड	18.2.2 में उल्लिखित बैंक गारंटी को निम्नलिखित मामलों में लागू किया जाएगा: -  प्रतिभागी कंपनी ने संबंधित दावा अवधि के लिए 31 दिसंबर तक वार्षिक अंतिम दावा प्रस्तुत नहीं किया है।  या  60 दिनों की अवधि के भीतर पीएमए द्वारा अंतिम मूल्यांकन के बाद प्रतिभागी कंपनी अपात्र है।
खंड 18.2.5	नया खंड	18.2.2 में उल्लिखित बैंक गारंटी वस्तु मंत्रालय द्वारा वार्षिक दावा अनुमोदन के बाद जारी की जाएगी।



(शुभ्रा)

व्यापार सलाहकार

वस्तु मंत्रालय

दूरभाष सं. : 011-23063625

ईमेल: shubhra.ag@nic.in

नई दिल्ली,

दिनांक 12 नवंबर, 2024

प्रतिलिपि:

1. भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश

**No. 12014/09/2024-MMF  
Government of India  
Ministry of Textiles**

Dated: 19<sup>th</sup> November 2024

**Amendment in Operational Guidelines dated 28.12.2021, for the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for production of MMF Apparel, MMF Fabrics and Technical Textiles Products manufactured in India.**

The Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Textiles has been Notified vide Notification No. 12015/03/2020-IT dated 24.09.2021. This scheme envisages incentive for production of MMF Apparel, MMF Fabrics and Technical Textiles Products manufactured in India. The scheme is in operation from 24.09.2021 and detailed guidelines have been issued on 28.12.2021 enabling implementation of the scheme.

2. The incentive under the scheme will be payable for a period of 5 years only starting from performance year FY 2024-2025 and first incentive claim year as FY 2025 – 2026. Further the incentive may be payable in FY 2024-25 itself in case of fast-paced investments. However, the participant shall be eligible for incentives on achieving threshold investment and threshold /incremental turnover.
  
3. Based on the requests and suggestions and with the goal of simplifying the claim processing and enhancing business convenience, following revisions to the Scheme Guidelines dated 28.12.2021 are being made: -

S.no.	Clause	Revised Clause
Clause 18.2.1	New clause	<p>A Participant Company(ies) may opt to submit a provisional claim for disbursement of incentive on quarterly, half yearly or annual basis in which the eligibility criteria for the year under consideration has been met. For Investment/ Sales, the applicant should submit Statutory Auditor certified Fixed asset register &amp; Audited/ Provisional Financial Statement.</p> <p>Claims shall be made only once, unless withdrawn, and no subsequent part claim shall be allowed for the said financial year.</p>

Clause 18.2.2	New clause	In case of Provisional claim, the Participant Company (ies) will provide Bank Guarantee (BG) equivalent to incentive amount as per scheme guidelines. Validity of the BG is for 1 year.
Clause 18.2.3	New Clause	In case of Participant Company(ies) opting for provisional claim, they shall submit a regular annual claim as per clause 18.2 for the sales made in a financial year along with its audited financial statement and other statutory annual compliances.
Clause 18.2.4	New Clause	The Bank Guarantee mentioned in 18.2.2 shall be invoked in following cases: -  Participant Company has not submitted annual final claim by 31st December for the relevant claim period.  OR  Participant Company is ineligible after final assessment by PMA within a period of 60 days.
Clause 18.2.5	New Clause	The Bank Guarantee mentioned in 18.2.2 shall be released after the annual claim approval by MOT.



(Shubhra)  
Trade Advisor  
Ministry of Textiles  
Tel.No.: 011-23063625  
Email: shubhra.ag@nic.in

New Delhi,  
Dated 12<sup>th</sup> November, 2024

Copy to:

1. All concerned Ministries / Departments of Government of India
2. All States/ Union Territories